**न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं**

पीठासीन अधिकारी ::: जयसिंह (नायब तहसीलदार)
मिसल नं. ::: 01/2021

सरकार बनाम सुमेरसिंह पुत्र मोहरसिंह, जाति–जाट,
निवासी– देवरोड़

**राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत**

निर्णय दिनांक 21.01.2021

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल बावजूद तामील अनुपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल सुमेरसिंह पुत्र मोहरसिंह, जाति–जाट, निवासी–देवरोड़ ने रोही मौजा देवरोड़ की राजकीय भूमि ख.नं. 773/204 रकबा 8.90 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.02 है0 पर चने की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल बावजूद तामील अनुपस्थित। अतः एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 6 रू. कायम किया जाता है। राजकीय भूमि में बोई गई फसल को राजहक में कुर्की, जब्ती एवं नियमानुसार निलामी करने की आज्ञा दी जाती है। इस बाबत् गिरदावर हल्का को लिखा जावें।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील ज़ाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
तहसीलदार, सूरजगढ़

रा० लै० स० 4 के पृष्ठ सं. 31 पर
वर्ष 2020-21 में रुपये 6/— कायम कि।
राजस्व लेखाकार